

## स्वच्छता में ही समझदारी, दूर रहेगी कई बीमारी

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत हाकिमवाड़ा स्थित एम पब्लिक स्कूल में स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

रतलाम 23 फरवरी । हर एक व्यक्ति एक सेहतमंद जिंदगी की तलाश करता है। कोरोना काल में इसकी समझ और बेहतर तरीके से हो गई है। एक स्वस्थ और तंदुरुस्त जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे भी हम में से कोई भी बीमार नहीं पडना चाहता है। कहते हैं कि इलाज करवाने से बेहतर है कि हम सही एहतियात बरतें ताकि बीमारी हमें छू भी न पाए। इसके लिए हमें समझदारी के साथ स्वच्छता की और कदम बढ़ाने की जरूरत है।

उक्त विचार नगर निगम के सहायक आयुक्त श्री विकास सौलकी ने सोमवार को हाकिमवाड़ा स्थित एम पब्लिक स्कूल में स्वच्छता जागरुकता सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के अवसर पर व्यक्त किए।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के अवसर पर वरिष्ठ पूर्व पार्षद श्री मुन्नालाल शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग शहर परियोजना क्रमांक-1 की पर्यवेक्षक सुश्री उषा लिम्बोदिया उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत स्कूल परिवार की नेहा चावरे, शायमा व अनिल पांचाल ने किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने कहा कि एक सेहतमंद जिंदगी और निरोगी काया के लिए स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। नगर निगम अपने स्तर से सफाई व्यवस्था में निरन्तर प्रयास किया है और इस प्रयास में सफलता भी निरन्तर मिल रही है। इन दिनों कोविड-19 के साथ ही अन्य बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। मलेरिया, डेगू, टाईफाईड, बुखार सहित अन्य बीमारियों के रोगी बढ़ने लगे हैं। इनमें से अनेक रोगों का सीधा संबंध साफ सफाई से है। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक अपने घर की सफाई के साथ ही आसपास की सफाई का भी ध्यान रखें और सर्तक रहें।

वरिष्ठ पूर्व पार्षद श्री मुन्नालाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत हमें रतलाम शहर को नम्बर-1 बनाने के प्रयास पुरजोर तरीके से करना चाहिए। अगर समय रहते हमने अपने इन प्रयासों को तेज कर दिया तो आने वाले समय में रतलाम का नाम देश में स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 रहेगा।

उन्होंने कहा कि नगर पालिक निगम का अमला सफाई व्यवस्था को लेकर सजग है विशेषकर नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया खुद स्वच्छता के मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से रतलाम के कई कोनों और हिस्सों में तीस-तीस साल से जमा अस्थायी कचरा स्थलों को साफ करवाया है जहां दोबारा कचरा न डाला जाए इसके लिए रांगोली का निर्माण और दीपदान कराया जा रहा है। रांगोली और दीपदान नागरिकों के साथ ही इधर-उधर कचरा फेकने वालों में भी सकारात्मक भाव भर रहे हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छता अभियान महज नगर पालिक निगम का अभियान न बने बल्कि इसे स्वच्छता आंदोलन माना जाए जिसमें शहरवासियों के लाखों हाथ आहूति दें।

कार्यक्रम का संचालन पर्यवेक्षक सुश्री उषा लिम्बोदिया ने किया और आभार नेहा चावरे ने माना।

### हीना ने बिखेरे स्वच्छता के रंग

स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के तहत यहां विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेंहदी प्रतियोगिता के दौरान किशोरी बालिकाओं व महिलाओं ने अपने हाथों पर मेंहदी रचा कर स्वच्छता का संदेश दिया। मेंहदी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए आलीना, रेहनुमा, साराखानरांगोली प्रतियोगिता के लिए चांदनी बी, रेशमा बी, शगुप्ता हुसैन, निबंध प्रतियोगिता में राहेमीन, अलफेज और सुमाईला को बालपेन और प्रमाणपत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। इसी तरह भाषण और अन्य स्पर्धाओं के लिए अनिता शर्मा, स्वालेहा खान, कामना व्यास, नसीम बानो, सविता जोशी, ब्रजबाला, प्रेमलता सेनी, सुनिता सौलकी, सविता राठोर, नसीम बानो, शीला परमार,

कायनात, ताहिरा बी, जितेन्द्र कुंवर, संतोष डोई, विमला राय, कोकिला सिसोदिया और नीता परमार को भी अतिथियों ने सम्मानित किया।

## नगर को पॉलीथीन व डिस्पोजल मुक्त करने हेतु बर्तन व झोला बैंक प्रारंभ

रतलाम 23 फरवरी । रतलाम नगर को पॉलीथीन व डिस्पोजल से मुक्त करने हेतु नगर निगम द्वारा अहम कदम उठाते हुए बर्तन बैंक व झोला बैंक की स्थापना की जिसका उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया ने फीता काटकर किया।

रतलाम नगर को डिस्पोजल से मुक्त करने हेतु मेरी सहेली महिला मंडल के द्वारा सिविक सेन्टर के आई ब्लॉक में बर्तन बैंक का संचालन किया जा रहा है। बर्तन बैंक प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि घरों में होने वाले छोटे-छोटे कार्यक्रम, जन्म दिवस आदि में उपयोग होने वाले डिस्पोजल पर रोक लगाना है नागरिक डिस्पोजल का उपयोग ना करते हुए बर्तन बैंक से बहुत ही कम दर पर थाली, कटोरी, चम्मच इत्यादी प्राप्त कर अपने कार्यक्रम पूर्ण कर सकते जिससे रतलाम नगर डिस्पोजल मुक्त होकर स्वच्छ व सुन्दर होगा।

इसी तरह रतलाम नगर को पॉलीथीन मुक्त बनाने हेतु नगर निगम कार्यालय परिसर स्थित तेजस्वनी कैफे पर झोला बैंक प्रारंभ किया गया है। नागरिक पॉलीथीन का उपयोग ना करते हुए यहां से बहुत ही कम दर पर पुराने कपड़ों से निर्मित झोले (थैली) प्राप्त कर सकते हैं या अपनी आवश्यकतानुसार बनवा सकते हैं। झोला बैंक का संचालन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत तेजस्वी क्षेत्रिय महिला विकास मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

## निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डो व निगम कार्यालय परिसर का निरीक्षण

रतलाम 23 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 1, 7 व 27 का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह भी साथ रहे, वार्डो के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर चेक कर सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी देकर रजिस्टर जब्त किये।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्रिय नालो में अर्धरात्री में गंदगी फेंकने वालो को चिन्हीत कर कार्यवाही करने व नालियों पर अतिक्रमण सफाई में बाधा पहुंचाने वाले लोगो पर कार्यवाही के साथ मौके पर ही प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्ती कार्यवाही करवाते हुए नागरिकों को समझाईश दी गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा शहर में किसी भी प्रकार से स्वच्छता में असहयोग करने वाले नागरिक, दुकानदारों से पेनल्टी व स्पॉट फाईन की कार्यवाही से दण्डित करने को कहा। नगर निगम, छत्रीपुल क्षेत्र में सड़को पर मजमा लगाकर सामान बेचने वालो को अन्यत्र भेजा जाकर चेतावनी दी।

इसी प्रकार दोपहर निगम प्रांगण का दौरा कर अनुपयोगी वाहनों पर चर्चा की इसी के साथ बंद पडी फायर गाड़ी को जुगाड से चालू करने की सहमति दी गई। निगम प्रांगण में पड़े कबाड़ को व्यवस्थित करने के साथ अन्य आवश्यक निर्देश दिये गये, निगम का नव निर्मित संपत्तिकर काउन्टर जिसमें आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखकर सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह आदि उपस्थित रहे।

## 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

### 12 किलो पॉलीथीन जब्त

## गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 23 फरवरी । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ़ूट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत राजेन्द्र कुमार अग्रवाल धानमण्डी पर 1500, समरथ कस्तुरबा नगर, सुरेश स्टोर राम मंदिर पर 500-500, घांसीराम स्वीट्स धानमण्डी, अग्रवाल आईस्क्रीम, सांवरिया किराना राम मंदिर पर 250-250, छोटेलाल अशोक कुमार गांधी चांदनी चौक पर 200, जितेन्द्र, शिव भोजनालय धानमण्डी, हंसमुख ट्रेडर्स नीम चौक, करेणी दूधवाला तोपखाना, कालू मामा कचौरीवाला राम मोहल्ला, सौरभ पुरोहित कस्तुरबा नगर, गुरबेज सिंह, अजय प्रजापत राम मंदिर पर 100-100, जुझारसिंह चौमुखी पुल, गीता, राम माला, प्रकाश जवाहर नगर, गुट्टीबाई, रवि, पुष्पेन्द्र, लख्खा भाई राम मंदिर पर 50-50 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 12 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

## **लक्कड़पीठा प्याऊ में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर**

**नागरिकों ने 36,32,144/- संपत्तिकर व 7,78,860/- जलकर जमा कराया**

रतलाम 23 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्प्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर

59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 36,32,144/- संपत्तिकर व 7,78,860/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

## **स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 677 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा**

रतलाम 23 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 23 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 677 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 23 फरवरी को दीनदयाल नगर, धीरजशाह नगर, ईश्वर नगर फाटक, कलीमी कालोनी से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के

तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

## **निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त 124 दिनों में 147 वॉल्व व 857 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण**

रतलाम 23 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 23 फरवरी तक 147 वॉल्व व 851 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 23 फरवरी मंगलवार को हिम्मत विहार कालोनी, दीनदयाल नगर नई टंकी के पास वीआईपी नगर, लक्ष्मी नगर, तेजा नगर, जवाहर नगर सांवरिया साईकिल के बाहर व कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन के अन्दर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री देवेन्द्र पवार आदि के निर्देशन में की गई।

*वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही*

रतलाम 23 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

## **गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक**

रतलाम 23 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के

पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

### **सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें**

रतलाम 23 फरवरी | रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

### **कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन**

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 23 फरवरी | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकारक कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाइट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

